



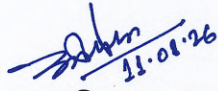
क्रमांक/स्था./राजभाषा/2026/1144

दिनांक: 11.08.2026

// परिपत्र //

भारत शासन की राजभाषा नीति के अनुपालन में संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही (01.07.2026 से 30.09.2026 तक) बैठक दिनांक 29.07.2026 को निदेशक कार्यालय के स्वामी विवेकानंद अभिषद् कक्ष में आयोजित की गई थी। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया सभी विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष/ अनुभागाध्यक्ष/ केन्द्राध्यक्ष एवं शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी उनसे संबंधित राजभाषा हेतु लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न: कार्यवृत्त।


सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त अनुभागीय अधिकारी/प्रभारी।
4. डॉ सविता दीक्षित, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनित भोपाल।
5. प्रभारी, वेबसाइट अपलोड हेतु।
6. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
7. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।



क्रमांक स्था./राजभाषा/2026/ 1144

दिनांक: 11/08/2026

// बैठक का कार्यवृत्त //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2026-27 की द्वितीय तिमाही (01.07.2026 से 30.09.2026 तक) की बैठक दिनांक 29.07.2026 को संस्थान के निदेशक कार्यालय के स्वामी विवेकानंद अभिषद् कक्ष में आयोजित हुई। संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य समस्त समिति सदस्यों का स्वागत किया गया और निम्न विन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

1. पिछली तिमाही (01.04.2026 से 30.06.2026) के कार्यवृत्त की पुष्टि:

समिति की अनुशंसा : पिछली तिमाही के जारी कार्यवृत्त दिनांक 25.06.2026 की पुष्टि की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष द्वारा अपने विभाग/अनुभाग में प्रतिदिन सुविचार लिख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन एवं अनुशंसा राजभाषा प्रकोष्ठ को शीघ्र भेजने हेतु निर्देश दिए, जिससे उनको पुरस्कृत किया जा सके।

2. संस्थान की वेबसाइट को पहले डिफॉल्ट हिन्दी में खुले फिर अंग्रेजी में जाने का ऑप्शन हो।

समिति की अनुशंसा : बैठक में अवगत कराया गया है कि अभी वेबसाइट में परिवर्तन कर परीक्षण किया जा रहा है। अभी अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद गूगल ट्रांसलेट द्वारा होने के कारण कुछ त्रुटियाँ सम्भावित हैं। उपरोक्त को देखते हुए निर्णय लिया गया कि अभी गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से किये गए अनुवाद को संबंधित विभाग से अनुवाद की पुष्टि कराते हुए ऑनलाइन किया जाए और द्विभाषी वेबसाइट (बिना गूगल ट्रांसलेट) के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाए जाएं।

3. संस्थान के पहचान पत्र द्विभाषी करने का प्रयास हो।

समिति की अनुशंसा : संस्थान के पहचान पत्र चरणबद्ध तरीके से द्विभाषी किया जाए। साथ ही भविष्य में कोई भी नया पहचान पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में न बनवाया जाए।

4. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत 14 अनिवार्य द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ) दस्तावेज जारी किए जाते हैं। इनमें संकल्प, सामान्य आदेश और नियम शामिल हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में इन सभी कागजातों को एक साथ दोनों भाषाओं में जारी करना जरूरी है। निविदाएं धारा 3(3) के अंतर्गत हैं, अतः द्विभाषी करने का प्रयास किया जाए।

समिति की अनुशंसा : धारा 3(3) के सभी 14 अनिवार्य दस्तावेजों को द्विभाषी ही जारी किया जाए। केवल अंग्रेजी में जारी दस्तावेजों को बंद करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। निविदाओं



को भी द्विभाषी जारी करने हेतु बल दिया गया। साथ ही तिमाही रिपोर्ट में धारा 3(3) के जारी दस्तावेजों को संबंधित अनुभागों द्वारा जारी किये जाने वाले "14 अनिवार्य दस्तावेजों के सही एवं सत्यापित आंकड़े देने हेतु बल दिया गया।

5. कार्यालय के कामकाज में हिंदी भाषा का उपयोग एवं तिमाही रिपोर्ट में सही प्रविष्टि पर आधारित कार्याशाला का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में जैविक विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग (Biological Science & Engineering Deptt.) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिसमें राजभाषा विभाग या राजभाषा से संबंधित अन्य किसी विभाग से राजभाषा अधिकारी/ कर्मचारी को आमंत्रित करना प्रस्तावित है।

समिति की अनुशंसा : समिति ने स्वीकार किया। इसी तारतम्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजभाषा विभाग से या अन्य किसी संस्थान से राजभाषा अधिकारी या संबंधित अधिकारी को आमंत्रित कर एक कार्यशाला आयोजित की जा सकती है।

6. संस्थान का आदर्श वाक्य विद्या परं भूषणं शुद्धिकरण उपरांत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त सुझाव के अनुरूप विद्या परं भूषणम् समिति द्वारा स्वीकार किया जाए।

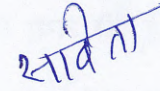
समिति की अनुशंसा : संस्थान के आदर्श वाक्य " विद्या परं भूषणम् " पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि संस्कृत संस्थान से एक बार " परं " शब्द पर भी विचार लिया जाए, पुष्टि उपरांत स्वीकार कर लिया जाए।

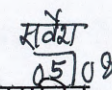
7. 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है साथ ही साथ सितम्बर माह के दौरान हिन्दी पखवाडा का आयोजन भी किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अतः उपर्युक्त के संदर्भ में एक समिति का गठन किया जाएगा।

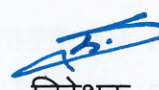
समिति की अनुशंसा : निर्णय लिया गया कि समिति की गठन किया जाएगा।

बैठक के अंत में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।


सहायक कुलसचिव (राजभाषा)


परामर्शदात्री, राजभाषा


कुलसचिव
उपाध्यक्ष, राजभाषा


निदेशक
अध्यक्ष, राजभाषा
